

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.. R.3-11/90..... जिला मिर्जापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.8.15.	<p>आदेश की धार ले रखी लख के आवली रूप, आवली जय की (सुपु. लेटर के सुपु) मिर्जापुर के आवली कि-क 17.3.15 को कि जय के पत्र, आवली के यथ आव विपक (क 602) पत्र जय के पत्र, आवली कि जय के सुपु आदेशों को आवली कि: आवली के पत्र व कि जय के पत्र प्रकृत कि जय पत्र लमात्र (क 602) कि पत्र प्रकृत कि जय कि जय पत्र कि जय</p>	<p><i>(Signature)</i></p>

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



थाप
निर्णय

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
प्र०क्र० 140 निगरानी. 3-11/90

मागी रथ सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह, निवासी
ग्राम खड़ेरी, तहसील अटेर, जिला ~~ग्वालियर~~ भिण्ड
मध्यप्रदेश ----- प्रार्थी
विरुद्ध

- १- प्रकाश सिंह पुत्र हाकिम सिंह,
- २- बृजमोहन सिंह पुत्र हाकिम सिंह,
- ३- दौनों निवासीगण ग्राम खड़ेरी तहसील
अटेर, जिला भिण्ड : म०प्र०:
- ३- जय सिंह | पुत्राण कामता प्रसाद
- ४- अखिरन सिंह |
- ५- अफिलास सिंह | पुत्राण फूलसिंह.
- ६- जगमोहन सिंह |
- ७- रामभात पुत्र छूरी सिंह
- ८- श्रीमती छूरी सिंह क्वा छूरी सिंह.
समस्त निवासीगण ग्राम कान्हापुरा, तहसील
व जिला जालौन : उ०प्र०देश: -- प्रतिप्रार्थीगण.

158/11
22-1-90
22-1-90

22-3-90
22-1-90

निगरानी विरुद्ध निर्णय अपर आयुक्त महोदय, चम्बल
सम्भाग, दिनांक 30-11-88, धारा 40 लेण्ड री० कोड
मध्यप्रदेश। प्र०क्र० 68176-50 अपील।

श्रीमान्,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र नीचे लिखे आधारों पर प्रस्तुत है :-

- :१: यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय कानूनन सही नहीं हैं।
- :२: यह कि, प्रथम स्वम् द्वितीय अपीलीय न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप स्वम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

